

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-3 देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-3 देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री चंद्रमोहन सिंह रावत (तदर्थ) एवं श्री अरविंद कुमार उपाध्याय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.07.2020 से 10.08.2020 तक श्री शशिकान्त पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### **भाग-I**

**1 परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी.के.श्रीवास्तव एवं श्री बी.बी.एम.त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22.10.2019 से 01.11.2019 तक श्री के.एल. भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह ---- से ---- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: -**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	2114.79
2018-19	93.32
2019-20	2493.37

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है: (₹ लाख में)

वर्ष	Plan		Non plan		अधिक्य (+)	बचत (-)
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A'श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त राज्य कर> अपर आयुक्त राज्य कर> संयुक्त आयुक्त राज्य कर> उपायुक्त राज्य कर >सहायक आयुक्त राज्य कर> राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-3 देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-1 देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: ----- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ----- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 1 : कर के न्यूनारोपण के कारण राजस्व क्षति ` 1.21 लाख।

प्रस्तर- 2: कर का अनारोपण ` 0.59 लाख।

प्रस्तर- 3 : कर के न्यूनारोपण/अनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ` 1.15 लाख।

प्रस्तर- 4 : कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर का अनारोपण ` 0.24 लाख।

प्रस्तर- 5: केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10 (b) सपठित धारा 10-A के अंतर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.81 लाख।

प्रस्तर -6 : देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण ` 0.33 लाख।

प्रस्तर- 7: टीडीएस (TDS) कटौती की राशि विलंब से जमा किए जाने पर अर्थदंड एवं ब्याज का अनारोपण ` 0.11 लाख।

## व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

**भाग दो ब**

**प्रस्तर- 1 : कर के न्यूनारोपण के कारण राजस्व क्षति ` 1.21 लाख।**

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खंड-3, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री श्री कैल्स्पर इंडिया, देहरादून, (टिन: 05012082248) के कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में लाईम की बिक्री का है; संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा (लाईम) की कुल बिक्री रु 2668198.00 (106000.00 प्रा + 1962198.00 के फार्म सी के साथ + 600000.00 के बिना फार्म सी) की घोषित की गई थी। कर निर्धारण आदेश में समस्त क्रय एवं विक्रय लाईम का मानते हुए कर निर्धारण किया गया था। परंतु पत्रावली पर उपलब्ध वार्षिक रिटर्न के अनुसार समस्त विक्री कैल्साइट पावडर की घोषित थी। उल्लेखनीय है पत्रवाली पर सीमित रूप से उपलब्ध दस्तावेजों एवं आंकड़ों और तथ्यों से स्पष्ट है कि कैल्साइट की खरीद/विक्री की गयी थी (फार्म सी से समर्थित बिक्री भी कैल्साइट पावडर की थी)। पुनः, क्योंकि यह एक Minor Mineral है (खान मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी 2015) और वैट अधिनियम के अनुसार किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं है। अतः उक्त कैल्साइट पावडर की प्रांतीय बिक्री `106000.00 एवं केंद्रीय बिक्री `600000.00 कुल `706000.00 पर अंतरीय दर 8.5% के दर से कर `60010.00 आरोपणीय है। नियमानुसार ब्याज भी वसूली योग्य है।

पुनः उक्त व्यापारी के कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबन्धित कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.01.2020 के अनुसार संगत वर्ष में कुल खरीद `752000.00 (आ0) की कैल्साइट पावडर की घोषित की गई थी। कुल बिक्री `2164350.00 (`680000.00 केंद्रीय विक्री बिना फार्म सी के + `1484350.00 केंद्रीय बिक्री फार्म सी पर) घोषित की गई थी। प्रयुक्त फार्म 16 के विवरण से भी स्पष्ट है कुल क्रय कैल्साइट पावडर का था; पत्रावली पर उपलब्ध वार्षिक विवरण एवं फार्म सी पर उल्लिखित विवरण से स्पष्ट है कि समस्त विक्री कैल्साइट पावडर की थी। बिना फार्म सी के की गयी कुल केंद्रीय बिक्री पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5% की दर से करारोपण किया गया है। बिन्दु (1) में की गयी विवेचना से स्पष्ट है कि करारोपण 13.5%/14.5% की दर से किया जाना चाहिए था।

अतः `360000.00 की बिक्री पर 8.5% की अंतरीय दर एवं `320000.00 की बिक्री पर 9.5% की अंतरीय दर से कुल कर `61000.00 (`30600+`30400) आरोपणीय है। नियमानुसार उक्त कर पर ब्याज भी वसूली योग्य है।

उपरोक्त प्रकरणों के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि व्यापारी का व्यापार लाईम व लाईम स्टोन की बिक्री है। कैलसाइट पाउडर भी लाईम स्टोन का ही एक उतड़ है, जो लाईम का पाउडर है। अतः, उक्त उत्पाद को लाईम में ही मानते हुए 5% की दर से करारोपण किया गया है जो कि सही है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खान मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी 2015 द्वारा जारी की गई minor mineral की सूची में कैलसाइट सम्मिलित है एवं उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची IIB के क्रमांक 78 पर अंकित प्रविष्टि “ Ores and minerals excluding minor minerals” है। अतः कैलसाइट की बिक्री 13.5 %/14.5% की दर से कर आरोपणीय है।

अतः कर के न्यूनारोपण से `1,21,010/- (60010 + 61000) लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इस धनराशि पर नियमानुसार 15% की दर से ब्याज भी देय है।

**भाग 2 'ब'****प्रस्तर - 2: कर का अनारोपण `0.59 लाख।**

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

पुनः उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची III, क्रमांक 1 (क) पर अंकित प्रविष्टि एवं उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग-8 के पत्रांक 413/2015/141(120)/xxxvii (8)/2008 दिनांक 08 मई, 2015 के अनुसार "सभी प्रकार की स्पिरिट एवं स्पिरिटमय शराब जिसमें मिथाइल अल्कोहल और संयुक्त प्रांत मोटर स्पिरिट डीजल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम 1939 के अधीन यथा परिभाषित अल्कोहल सम्मिलित है, किन्तु देशी शराब एवं उत्तराखंड राज्य में उत्पादित फलों से विनिर्मित वाइन (वाइन) सम्मिलित नहीं है" की बिक्री पर निर्माण एवं आयात के बिन्दु पर 20 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खंड-3, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री होटल जेएसआर कॉन्टीनेंटल, देहरादून (टिन: 05013874226) द्वारा आयातित शराब की ` 293315/- की खरीद की गई है। उक्त माल की कोई बिक्री घोषित नहीं की गई थी परंतु अंतिम रहतिया शून्य दर्शाया गया था। अतः उक्त आयातित शराब की बिक्री बिना किसी लाभ के भी मानी जाए तो ` 293315/- की बिक्री पर 20 प्रतिशत की दर से ` 58663/- का कर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।

अतः कर के अनारोपण से `58,663/- की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

### भाग दो ब

**प्रस्तर - 3: कर के न्यूनारोपण/अनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति `1.15 लाख।**

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधो के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा। पुनः उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर राज्य कर, खंड-3 देहरादून की लेखा परीक्षा की जांच में पाया गया कि सर्वश्री वी एस लक्ष्मी प्लाई हाउस, देहरादून (वर्ष- 2016-17 टिन-05000791351) में पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.09.2019 के अनुसार व्यापार प्लाई, प्लाइबोर्ड, हार्डवेयर, माइका, पेंट्स, एड्हीसिव, आदि की बिक्री का था। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा कुल खरीद `6847991.00([183529.76@5%](#) + [1916340.54@13.5%](#) + [689215@13.5%](#) + [2334982@14.5%](#)+[1723924.00@14.5%](#)) कुल बिक्री `8317309.00 (1570736.00 फार्म 11 + 235133 @5% + 2901328.00 @13.5%+ 3610112 @14.5%) की घोषित है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ` 235133.00 की प्लाई, प्लाइबोर्ड की बिक्री पर 5% के दर से कर लगाया गया जबकि वैट अधिनियम की किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं के होने कारण इस पर न्यूनतम 13.5% की दर से कर आरोपणीय था। अतः अंतरीय दर 8.5% से उक्त `235133.00 पर `19986.00 का कर आरोपणीय था। पुनः माइका शीट एड्हीसिव की कुल बिक्री रु 6511440.00 की एवं अंतिम रहतिया `607632.00 घोषित किया गया। जबकि उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार अंतिम रहतिया `1396788.54 (1243767.00+1916340.54+689215.00+2334982.00+1723924.00-6511440.00=1396788.54) होना चाहिए था। इस प्रकार कम प्रदर्शित अंतिम रहतिया `703240.54 (1396788.54-607632.00) को विक्री मानते हुए उक्त पर न्यूनतम 13.5% की दर से कर रु 94937.4 आरोपणीय है। अर्थात कुल कर `114923.00 एवं नियमानुसार ब्याज वसूली योग्य है।



उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी। अतः कर के न्यूनरोपण/अनारोपण के कारण `1.15 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

### **भाग 2 'ब'**

**प्रस्तर- 4 : कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर का अनारोपण `0.24 लाख।** उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधो के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा। पुनः उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खंड- 3, राज्य कर, देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान व्यापारी सर्वश्री गुप्ता क्रॉकरी हाउस, (टिन: 5000707737) के 2016-17 के प्रांतीय कर निर्धारण वाद की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा व्यापारिक स्थिति निम्न प्रकार से घोषित की गयी है:

(राशि ` में)

माल का विवरण	आ. रहतिया	खरीद	बिक्री	अंतिम रहतिया
करमुक्त	1865.00	-	2200.00	-
5% करयोग्य	289618.00	1552075	2085440.00	144440.00
13.5% करयोग्य	142666.00	831603.63	660778.00	-
14.5% करयोग्य	-	865253.09	768570.00	303010.00
<b>योग</b>	<b>434149.00</b>	<b>3248932.00</b>	<b>3516988.00</b>	<b>447450.00</b>

उपरोक्त विवरणी के अनुसार व्यापारी द्वारा 13.5%/14.5% की दर से `1696856 (831603+865253) की खरीद एवं इस वर्ग के माल का आरंभिक रहतिया ` 142666/- दर्शाया गया था एवं इसकी बिक्री ` 1429348 ( 660778 + 768570) की दर्शाई गई थी। इसके अतिरिक्त अंतिम रहतिया ` 303010/- दर्शाया गया था। यदि `1839522 (1696856 + 142666) के 13.5%/14.5% की दर से कर योग्य माल की बिक्री बिना किसी लाभ के भी मान ली जाय तब भी इसकी बिक्री न्यूनतम

`1536512/- (1839522 - 303010) की होनी चाहिए थी जबकि इसकी बिक्री मात्र `1429348 (660778+768570) की दर्शाई गई थी। अतः `107164/- (1536512-1429348 ) की कम दर्शाई गई बिक्री पर 14.5% की दर से `15,539/- का कर आरोपणीय है एवं लेखा परीक्षा की तिथि तक इस पर नियमानुसार `8850/- का ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी। अतः कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर के अनारोपण से ` 0.24 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग 2 'ब'**

**प्रस्तर- 5: केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10 (b) सपठित धारा 10-A के अंतर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.81 लाख।**

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10 (b) सपठित धारा 10-A में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्योहारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मिथ्या (falsely) जाहिर करेगा कि माल का ऐसा वर्ग उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत है तो वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, यथास्थिति, उसे अनुदत्त किया था या उसे अनुदत्त करने के लिए सक्षम हो, सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा शास्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित कर सकेगा, जितनी उस कर के डेढ़ गुने से अधिक न हो, जो उस माल के उसको किए गए विक्रय के बाबत धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन उस दशा में उद्गीहित किया जाता, यदि विक्रय उस उपधारा के अंतर्गत आने वाला विक्रय होता।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खंड-3, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी **सर्वश्री इन्वोल्यूट इंजीनीयरिंग प्रा. लि. देहरादून (टिन: 05006625707)** ने कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में प्रांत के रियायती दर पर ` 4,01,813/- मूल्य की Generator Set की खरीद हेतु फॉर्म 'सी' जारी किया था किन्तु उक्त क्रय करते समय व्यापारी के केंद्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में Generator Set सम्मिलित नहीं था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त अवधि (कर निर्धारण वर्ष 2015-16) में Generator Set के रियायती दर पर क्रय हेतु व्यापारी अधिकृत नहीं था। व्यापारी इस कृत्य हेतु केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10-A सपठित 10(b) के अनुसार `81,367/- (`4,01,813 के 13.5 % अर्थात् `54,245/- का डेढ़ गुना) तक के अर्थदण्ड का दायी था।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी। अतः केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10 (b) सपठित धारा 10-A के अंतर्गत अर्थदण्ड के अनारोपण से ` 0.81 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग 2 'ब'**

**प्रस्तर -6 : देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण  
` 0.33 लाख।**

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में दिनांक 26.03.2014 से यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ` 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है। दिनांक 26.03.2014 से पूर्व, उपरोक्त वर्णित व्यापारियों के लिए देय कर के भुगतान की तिथि अगले माह/त्रैमास की 25 तारीख थी। पुनः उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34(4) के अनुसार, 'स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जाएगा। ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अंतिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में

- (i) **(दिनांक 31.03.2015 से पूर्व)** देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदिकर 10 हजार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदिकर 10 हजार रूपए से अधिक हो, का दायी होगा।
- (ii) **(दिनांक 31.03.2015 से)** यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5%, यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हजार रूपए तक होतो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रूपए 20 हजार रूपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खंड -3, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि विभिन्न व्यापारियों द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ` 6,31,747/- को विलंब से जमा किया गया था। अतः विलम्ब से जमा कर की राशि पर उपरोक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार न्यूनतम ` 31,587/- का अर्थदण्ड एवं `1527/- का ब्याज अर्थात् कुल `33,115/- ( $31,587 + 1527$ ) आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया था। **(विवरण संलग्न)**

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी। अतः देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण `33,115/- की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।



क्रम सं	व्यापारी कानाम (सर्वश्री)	TIN सं	कर निर्धारण वर्ष	माह/त्रैमास	कर जमा करने की देय तिथि	कर जमा करने की तिथि	विलंब अवधि (दिन)	कर की राशि	ब्याज @15%	अर्थदण्ड की दर (%)	आरोपणीय अर्थदण्ड की राशि
1	सनरैक	05008375102	2016-17	Q1 (April - June 2016)	20-Jul-16	08-Aug-16	18	43519.00	321.92	5.00	2175.95
				Q3 (Oct - Dec 2016)	20-Jan-17	30-Jan-17	10	289636.00	1190.28	5.00	14481.80
2	होटल जे एस आर कॉन्टीनेंट	05000360671	2015-16	Q1 (April - June 2015)	20-Jul-15	23-Jul-15	3	12445.00	15.34	5.00	622.25
				Q2 (Jul - Sep 2015)	20-Oct-15	28-Oct-15	8	22026.00	-	5.00	1101.30
				Q3 (Oct - Dec 2015)	20-Jan-16	04-Feb-16	15	74162.00	-	5.00	3708.10
				Q4 (Jan - Mar 2016)	20-Apr-16	28-Apr-16	8	189959.00	-	5.00	9497.95
						<b>TOTAL</b>		<b>631747.00</b>	<b>1527.55</b>		<b>31587.35</b>

**GRAND TOTAL****33114.90**

**भाग 2 'ब'**

**प्रस्तर - 7: टी डी एस (TDS) कटौती की राशि विलंब से जमा किए जाने पर  
अर्थदंड एवं ब्याज का अनारोपण ` 0.11 लाख।**

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में दिनांक 26.03.2014 से यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक स्रोत पर कटौती (TDS) का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ` 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक स्रोत पर कटौती (TDS) का भुगतान करना है। दिनांक 26.03.2014 से पूर्व, उपरोक्त वर्णित व्यापारियों के लिए स्रोत पर कटौती (TDS) के भुगतान की तिथि अगले माह/त्रैमास की 25 तारीख थी।

पुनः उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-35 की उपधारा 8 के अनुसार यदि उक्त धारा की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति इस प्रकार काटी गई राशि को उपधारा (4) के अपेक्षानुसार एवं निर्धारित समयावधि में जमा करने में असफल रहता है, तो कर-निर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति, (i) यदि ऐसी राशि जमा करने में विलंब एक माह से अधिक नहीं है, ऐसी धनराशि जो ऐसी राशि के दो प्रतिशत के बराबर होगी, का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करेगा। अधिनियमकी धारा 35 की उपधारा (9) के अनुसार उपधारा (8) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात इस प्रकार काटी गई राशि जमा करने में असफल रहता है तो वह इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गई और यदि काटी गई तो इस प्रकार जमा न की गई, धनराशि पर उस तारीख से जब ऐसी धनराशि कटौती योग्य थी, से उस तारीख तक जब ऐसी धनराशि जमा की गई, 15 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का देनदार होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खंड -3, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री कैलाश मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा विभिन्न माहों का TDS के रूप में काटी गई कुल राशि ` 5,03,770/- को विलंब से जमा किया गया था। अतः विलम्ब से जमा कर की राशि पर उपरोक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के



अंतर्गत नियमानुसार न्यूनतम ` 10,075/- का अर्थदण्ड एवं ` 723/- का ब्याज अर्थात् कुल `10,799/- (`10,075 + `723) आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया था। (विवरण संलग्न)

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी। अतः टी डी एस (TDS) कटौती की राशि विलंब से जमा किए जाने पर अर्थदंड एवं ब्याज के अनारोपण के कारण ` 10,799/- की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।



क्रम सं	व्यापारी कानाम (सर्वश्री)	TIN सं	कर निर्धारण वर्ष	माह/त्रैमास	TDS जमा करने की नियत तिथि	TDS जमा करने की तिथि	विलंब अवधि (दिन)	कर की राशि	ब्याज @15 %	अर्थदण्ड की दर (%)	आरोपणीय अर्थदण्ड की राशि
1	कैलाश मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर	06060200023	2016-17	Dec-16	20-Jan-17	24-Jan-17	4	176156.00	289.57	2.00	3523.12
				Jan-17	20-Feb-17	23-Feb-17	3	114970.00	141.74	2.00	2299.40
				Feb-17	20-Mar-17	24-Mar-17	4	142621.00	234.45	2.00	2852.42
				Mar-17	20-Apr-17	22-Apr-17	2	70023.00	57.55	2.00	1400.46
						<b>TOTAL</b>		<b>503770.00</b>	<b>723.31</b>		<b>10075.40</b>
									<b>GRAND TOTAL</b>		<b>10798.71</b>

**भाग-III**

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-III 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-50/2004-05	01	-	
CT-50/2006-07	-	01,02,03,04	
CT-50/2007-08	01,02	01	
CT-22/2010-11	01,02	01,02,03,04	
CT-24/2011-12	-	01,02	
CT-20/2012-13	-	01,02,03	
CT-34/2013-14	-	01,02,03	
CT-48/2014-15	-	01,02,03,04	01
CT-23/2016-17	01	01,02,03	
CT-56/2017-18	-	01,02	
CT-84/2019-20	01	01,02	01

**भाग-IV****इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

**भाग-V****आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड- 3 देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएं:  
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री नीलम पाल	सहायक आयुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV